मिट्टी तेल आवंटन

संख्या-04 /2018/268 /29-7-2018-एम-143/2006 टी0सी0

प्रेषक,

अशोक कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 लखनऊ:: दिनांक 12 जुलाई, 2018

विषय:-भारत सरकार से प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2018 के लिये प्राप्त मिट्टी के तेल का मासिक कम्पनीवार आवंटन।

महोदय,

भारत सरकार, पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल, नई दिल्ली (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के पत्र संख्या-डी-11013/01/2018-I दिनांक 20-06-2018 द्वारा द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2018 के लिये 221964 के0एल0 मिट्टी के तेल का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत् मिट्टी के तेल के आवंटन के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दो प्रकार के लाभान्वित परिवारों की श्रेणी अर्थात पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त प्रति माह आवंटन के सापेक्ष दिनांक 02 जुलाई, 2018 तक पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर आवंटन तैयार किया गया है। यह आधार एक दिशा-निर्देश के रूप में परिचायक स्वरूप होगा। भारत सरकार से आगामी त्रैमासों में मिट्टी के तेल के आवंटन में कमी व बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उसी प्रकार आवंटन को संशोधित किया जायेगा। तदनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों को संलग्न तालिका के अनुसार मासिक आवंटन किया गया है। (संलग्न प्रति)

3- (क) जिलाधिकारी, झांसी द्वारा अपने पत्र संख्या-250/जि0पू0अ0/मि0तेल अनु/2018-19, दिनांक 10-05-2018 के माध्यम से जनपद झांसी में एच0पी0सी0 कम्पनी में 53627 ली0 मिट्टी का तेल अवशेष बताते हुए इसका समायोजन करने की, की गयी अपेक्षा के क्रम में 12 के गुणांक में एच0पी0सी0 कम्पनी का 12 के0एल0 प्रति माह अर्थात त्रैमास में कुल 36 के0एल0 का समायोजन करते हुए इसे जनपद के कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में कम

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

(ख) जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा अपने पत्र संख्या-191/जि0पू0अ0-मिट्टी तेल/2018, दिनांक 26 मई, 2018 के माध्यम से जनपद चन्दौली में आई0ओ0सी0 कम्पनी में 54 के0एल0, बी0पी0सी0 कम्पनी में 13 के0एल0 एवं एच0पी0सी0 कम्पनी में 05 के0एल0 कुल 72 के0एल0 मिट्टी का तेल अवशेष बताते हुए इसका समायोजन करने की, की गयी अपेक्षा के क्रम में 12 के गुणांक में आई0ओ0सी0 कम्पनी का 12 के0एल0 प्रति माह अर्थात त्रैमास में कुल 36 के0एल0 समायोजन करते हुए इसे जनपद के कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

4- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा उसे जिलाधिकारी जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे।

5- शासन स्तर से आवंटित मिट्टी के तेल के वितरण का सत्यापन खाद्यान्न के वितरण के सत्यापन की भांति कराते हुए आयुक्त, खाद्य एवं रसद से संकलित आख्या प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु अपेक्षित आख्या शासन में अप्राप्त है अत: इस स्थिति में पुन: अपेक्षा है कि आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा मिट्टी के तेल के वितरण का सत्यापन कराते हुए संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि मिट्टी के तेल के दुरूपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।

6- उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेश है कि शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-सा/98, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार मिट्टी के तेल के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर के निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक-कम्पनीवार ब्रेक-अप।</u>

भवदीय,
(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या-04/2018/268(1)/29-7-2018-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-04/2018/268/29-7-2018-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 12 जुलाई, 2018 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	आई0ओ0सी0	एच0पी0सी0	बी0पी0सी0	योग
1-	आगरा	816	168	300	1284
2-	अलीगढ़	804	156	276	1236
3-	इलाहाबाद	1332	276	480	2088
4-	अम्बेडकर नगर	780	0	0	780
5-	अमेठी	480	96	180	756
6-	अमरोहा	396	264	0	660
7-	औरैया	348	72	120	540
8-	आजमगढ़	996	228	348	1572
9-	बागपत	240	48	96	384
10-	बहराइच	1032	444	0	1476
11-	बलिया	816	168	288	1272
12-	बलरामपुर	420	0	276	696
13-	बांदा	432	0	276	708
14-	बाराबंकी	900	204	312	1416
15-	बरेली	1044	216	372	1632
16-	बस्ती	552	0	372	924
17-	बिजनौर	756	144	276	1176
18-	बदांयू	696	144	240	1080
19-	बुलन्दशहर	780	156	276	1212
20-	चन्दौली	420	96	156	672
21-	चित्रकूट	276	0	120	396
22-	देवरिया	732	144	264	1140
23-	एटा	576	0	0	576
24-	इटावा	384	84	132	600
25-	फैजाबाद	540	120	192	852
26-	फर्रूखाबाद	384	0	264	648
27-	फतेहपुर	624	132	216	972
28-	फिरोजाबाद	552	312	0	864
29-	गौतमबुद्धनगर	420	0	0	420
30-	गाजियाबाद	504	96	180	780
31-	गाजीपुर	792	168	288	1248

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

32-	गोण्डा	744	156	264	1164
33-	गोरखपुर	1008	204	360	1572
34-	हमीरपुर	276	0	180	456
35-	हापुड़	264	180	0	444
36-	हरदोई	1056	216	384	1656
37-	हाथरस	360	72	132	564
38-	जालौन	396	84	156	636
39-	जौनपुर	1092	216	396	1704
40-	झांसी	444	276	0	720
41-	कन्नौज	360	240	0	600
42-	कानपुर देहात	408	264	0	672
43-	कानपुर नगर	900	180	324	1404
44-	कासगंज	300	204	0	504
45-	कौशाम्बी	396	0	240	636
46-	लखीमपुर खीरी	1068	216	384	1668
47-	कुशीनगर	1068	216	384	1668
48-	ललितपुर	336	72	108	516
49-	लखनऊ	852	168	312	1332
50-	महोबा	0	72	312	384
51-	महराजगंज	1032	0	0	1032
52-	मैनपुरी	396	0	276	672
53-	मथुरा	624	132	228	984
54-	मऊ	516	120	192	828
55-	मेरठ	564	108	204	876
56-	मिरजापुर	612	120	228	960
57-	मुरादाबाद	684	144	240	1068
58-	मुजफ्फरनगर	648	132	240	1020
59-	पीलीभीत	612	0	144	756
60-	प्रतापगढ़	636	0	408	1044
61-	रायबरेली	768	168	264	1200
62-	रामपुर	504	108	180	792
63-	सहारनपुर	708	144	276	1128
64-	सम्भल	468	96	168	732
65-	संतकबीरनगर	672	0	0	672
66-	संतरविदास नगर (भदोही)	396	0	264	660

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

67-	शाहजहांपुर	684	132	264	1080
68-	शामली	264	60	108	432
69-	श्रावस्ती	264	0	168	432
70-	सिद्धार्थनगर	576	0	396	972
71-	सीतापुर	1140	228	408	1776
72-	सोनभद्र	480	0	336	816
73-	सुल्तानपुर	600	120	216	936
74-	उन्नाव	792	168	288	1248
75-	वाराणसी	792	168	276	1236
	योग	46584	9120	16008	71712

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।